TRIBAL AREA DEVELOPMENT DEPARTMENT

Head Office: Commissioner, Tribal Area Development Department, UDAIPUR

Phone - 0294-2428721-24, Fax No. 0294-2411417, E-Mail : comm.tad.@gmail.com

ई–टेण्डर (e-Tender)

Tender Form for Supply ARCHERY (Recurve Bows and related Equipments)

Bid form Fee Rs. 400/- (Non-Refundable)

RISL Processing Fees Rs. 500/- (Non-Refundable)

Bid Security Rs. 67,500/- (Refundable) Bid Value Approx. Rs. 33.75 Lakh

Sr.No.	Subject	Date	Time
1.	e-publishing Date	28.02.18	05.00 PM
2.	Document Download Start Date	28.02.18	05.00 PM
3.	Document Download End Date	16.03.18	01.00 PM
4.	Bid Submission End Date	16.03.18	03.00 PM
5.	Technical Bid Opening Date	16.03.18	04.00 PM
6.	Submission of Demand Draft/ Banker Cheque of Bid Fee, processing fees and earnest money in physical form.	16.03.18	04.00 PM

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

Terms & Conditions:–

1. बोली प्रपत्र शुल्क, बोली बयाना राशि, प्रोसेसिंग शुल्क की राशि के बिना प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

2. बोली से सम्बन्धित नियम, शर्ते एवं बोली प्रपत्र http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बोलीदाता के द्वारा डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र का मूल्य रू. 400/– का डी.डी. एवं बोली बयाना राशि का डी.डी. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, उदयपुर के नाम एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि रू. 500/– का डी.डी. M.D., RISL, Jaipur के नाम से संलग्न कर तकनीकी बोली खुलने से पूर्व दिनांक 16.03.18 को अपराह्न 4.00 बजे तक आयुक्तालय में जमा कराना होगा ।

3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।

4. उक्त बोलियों को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, उदयपुर को होगा।

5. **तकनीकी बोली स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्ते** :–
   (a) निर्धारित बोली बयाना राशि, बोली शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क।
   (b) बोली प्रपत्र (Bid Documents) ऑनलाइन।
   (c) बोली के साथ नवीनतम GST/VAT Clearance Certificate/Challan/tax Return।
   (d) GST पंजीयन संख्या का प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित।
   (e) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की प्रमाणित प्रति।
   (f) तकनीकी बोली प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बधित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित किये होने चाहिये।
   (g) क्रय की जाने वाली वस्तु के लिए निर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता होने का वैध प्रमाण–पत्र।
   (h) फर्म को गत 3 वर्षों में राजकीय विभागों/संस्थाओं में राशि रू. 25.00 लाख की खेल सामग्री सप्लाई का अनुभव होना आवश्यक है। इस हेतु फर्म द्वारा समुचित क्रयादेशों की प्रति प्रस्तुत की जावें।
   (i) फर्म का गत 3 वित्तीय वर्षो (वर्ष 2014–15 से 2016–17) का औसत वार्षिक बिक्री टर्नओवर राशि रू. 25.00 लाख से कम का नहीं होना चाहिये। इस हेतु फर्म द्वारा Balance Sheet (C.A. द्वारा प्रमाणित) एवं Annexure-F में C.A.का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।
   (j) बोलीदाता द्वारा Import-Export License प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   (k) बोलीदाता द्वारा बोली में Latest and First grade Model ही Quote किया जावे।

(l) ARCHERY (Recurve Bows and related Equipments) का एक–एक नमूना तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा। नमूने के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। बोली स्वीकृति की स्थिति में क्रय समिति द्वारा अनुमोदित सामग्री के अनुरूप ही सप्लाई की जाएगी।

6. फर्म को अपना बैंक खाता संख्या मय आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक का नाम एवं शाखा अंकित की जानी होगी।

7. क्रय की जाने वाली सामग्री की सप्लाई एफ.ओ.आर. कार्यालय, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर में करनी होगी।

8. कार्य आदेश जारी करने के दिनांक से 45 **दिवस** की अवधि के भीतर फर्म द्वारा आईटम की सप्लाई करनी होगा। निर्धारित समयावधि में सामग्री सप्लाई नहीं करने पर नियमानुसार परिसमापित नुकसानी (L.D.) की कटौती की जावेगी।

9. तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली पर विचार किया जावेगा।

10. बोली में आंमत्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

11. बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वें इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का क्रय राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम–8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश क्रमांक : प1(1)वित्त/सा.नि.लेनि./2007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली बयाना /कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगा।

12. सामान/वस्तु की क्रय राशि अनुमानित है। अनुबन्ध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है। अधिकतम क्रय राज. लोक. उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उपनियम 73 के अनुसरण मे निम्नानुसार होगी :–

1. संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मो या सेवाओं के परिमाण में बढोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढोतरी बोली दस्तावेजों मे विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निंबधनों और शर्तो में किसी परिवर्तन के बिना होगी ।
2. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
3. अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणें के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश ई–बोली आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण हाने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकगी। पुनरादेश की सीमाऐं निम्नलिखित होंगी :–
   (क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और
   (ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत ।

13. **विशेष परिस्थितियों में राज. लोक उपापन में पारदर्शीता नियम 2013 के नियम 74 के अनुसार कार्य Fair,Transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा ।**

14. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शीता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है। अतः इस बोली पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

E-Tender for Supply, Installation and Commissioning of Desktop Computer

Technical Bid Check list

S.No.	Type of Certificate & Other informations	Yes/No	Date of issue/validity
1	Whether bid document fee submitted with e-bid Provide details Banker Cheqe/DD No......... dt.....		
2	Whether Bid security submitted with e-bid Provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt no............. dt............ amount		
3	Whether Bid Processing fee sumitted with e-bid provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt no............ dt.......... amount................		
4	Annexure-F (Affidevit regarding acceptance of Bid terms & conditions on Rs. 50/- non judicial stamp paper.)		
5	Whether GST registration certificate is submitted with e-bid		
6	Whether sales tax/VAT/GST clearance certificate is submitted with e-bid		
7	If tax clearance certificate is not issued by the concerned govt. copy of the challan or tax return be submitted with e-bid		
8	Whether SSI registration certificate issued by the govt. of Rajasthan is submitted with e-bid		
9	Whether original manufacturer's certificate for the item submitted with e-bid		
10	Whether certificate regarding authorized dealer/authorized representative issued by the manufacturer is submitted with e-bid		
11	Annexure-G (Statement of turnvoer and balance sheet)		
12	Supply order of Rs. 25.00 lakh in last 3 years		
13	PAN Card self attessted copy		
14	Scaned copy of Bid form and bid document (self attested)		
15	Copy of Import-Export License		
16	Sample of ARCHERY (Recurve Bows and related Equipments)		

<u>कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर</u>

परिशिष्ट ''अ''
(बोली प्रपत्र–क्वालिफाईंग बिड)

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांकः दिनांक :–

1. .... के लिए बोली

(खाली स्थान मे उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)

ई–बोली प्रपत्र शुल्क रूपये 400 /–

ऑनलाईन बोली प्रपत्र बेचने की अन्तिम तिथि– 16.03.2018 1.00 बजे अपरान्ह तक

ऑनलाईन बोली प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि–16.03.2018 4.00 बजे अपरान्ह तक

ऑनलाईन तकनीकी बोली खोलने की तिथि – 16.03.2018 4.00 बजे अपराह्न

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता

....

....

....

2. किसको सम्बोधित की गई :– आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

3. सन्दर्भ ....में प्रकाशित ई–बोली सूचना।

4. बोली शुल्क की राशि रू. 400/– मात्र नकद रसीद संख्या .... दिनांक .... **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक सख्या .... दिनांक .... के द्वारा जमा करा दी गयी है।**

5. हम आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा जारी की गई बोली दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त बोली की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। इनके सभी पृष्ठों पर उनके उल्लिखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है। हम राज्य सरकार के उपापन संबंधी अधिनियम/नियम आदेश से आबद्व होना स्वीकार करते है।

6. बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक .... दिनांक .... जो .... (बैक का नाम) पर आहरित किया गया है। नकद रसीद संख्या .... दिनांक................................ रू. .... के लिए जारी किया गया है, बयाना राशि के पेटे संलग्न प्रस्तुत किया जाता है।

7 (क) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण, स्पेशिफिकेशन एवं अनुमानित मात्रा संलग्न एनेक्सर–''E'' के अनुसार है ।

(ख) सप्लाई की जाने वाली सामग्री की दरें ऑनलाईन BOQ sheet में अकिंत की गयी है।

8. कार्य आदेश जारी करने के दिनांक से 45 **दिवस** की अवधि के भीतर फर्म द्वारा आईटम सप्लाई , स्थापना एवं कमिंशनिंग कर स्थापित करना होगा।

9. ई–बोली में आमत्रिंत दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

10. ई–बोली के साथ नवीनतम कर चुकता प्रमाण–पत्र एवं पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. नम्बर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

11. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र संलग्न है

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

1. बोलीदाता का नाम

2. डाक का पता

____

____

____

3. टेलीफोन नं. (दुकान) ....

(घर) ....

4 ई–मेल–
स्थान–
दिनांक–

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

(6)

Annexure-'A'

COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST:-

Any person participating in a procurement process shall-

a) Not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process;
f) Not obstruct any investigation or audit of procurement process,
g) Disclose conflict of interest, if any, and
h) Disclose any previous transgression with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

CONFLICT OF INTEREST:-

The bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if, including but not limited to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process; or
e. The bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one Bid; or
f. The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid; or
g. The bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder with Seal

Date:

Name:

Designation:

Address:

Annexure-'B'

DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS

DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to Commissioner **TADD Udaipur** for procurement of **M/s** .... In response to their notice inviting Bids No......................Dated ....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding Document issued by the procuring entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/we are not insolvent, in receivership bankrupt or being would up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the bidding document, which materially affects fair competition.

Signature of Bidder with Seal

Date:

Place:

Name:

Designation:

Address:

Annexure-'C'

GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS

The designation and address of the First Appellate Authority is ....

....

The designation and address of the Second Appellate Authority is..

... .

1. Filling an appeal:-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding document within a period of ten days, from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial Bids, and appeal related to the matter of financial Bids may be filed only by a bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under Para (1) will deal with the appeal as expeditiously as possible and will Endeavour to dispose it off within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases:-

No appeal will lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provision limiting participating of bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

5. Form of Appeal:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above will be in the annexed Form along with many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal will be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, in person or through registered post or authorized representative.

(10)

6. Fee for filling appeal

(a) Fee for first appeal will be rupees two thousand five hundred and for second appeal will be rupees ten thousand, which will non-refundable.
(b) The fee will be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal:-

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, upon filing of appeal, will issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, will,-
    (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
    (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned will pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.
(d) The order passed under sub-clause © above will be place on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place

Signature of Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ....of.....................
Before the ....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of Appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s)

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or mission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposed to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

....

....

(supported by an affidavit)

7. Prayer :

....

....

Place.....................
Date......................

Appellant's Signature

(12)

Annexure-'D'

ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

1. Correction of Arithmetic Errors:-

Provided that a financial Bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price will prevail and the total price will be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted will govern and the unit price will be corrected;

(ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the sub totals will prevail and the total will be corrected; and

(iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words will prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures will prevail subject to clause (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid will be disqualified and its Bid security will be forfeited or its Bid securing declaration will be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

The quantity mentioned in the Bid is the minimum approximate quantity that the bidder will have to compulsorily supply to specified destination.

(a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit process or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procure less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

(c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity will not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity will be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred will be recovered from the supplier.

3. DIVIDING QUANTITIES AMONG MORE THAN ONE BIDDER AT THE TIME OF AWARD (IN CASE OF PROCUREMENT OF GOODS):-

As a general rule all the supply will be taken from successful bidder, whose Bid is accepted, However, when it is considered that the quantity of the subject matter of supply to be supplied is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose Bid is accepted to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject

matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders, in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose Bid is accepted.

Date:
Place:

Signature of Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

TECHNICAL SPECIFICATION OF ITEMS

ARCHERY (Recurve Bows and related Equipments)

Item no.	Name of the Item & Specification	size	Aprox Quantity	Products Name/ Make/ Trade/ Mark etc	Specimen/ Catalog Enclosed YES/NO
ARCHERY (Recurve Bows and related Equipments)					
1	Handle Riser RH	25 inch	15 nos		
2	LIMBS carbon lbs	66"-36	3 pair		
		66"-38	3 pair		
		66"-40	3 pair		
		68"-38	3 pair		
		68"-40	3 pair		
3	Long road carbon, metallic.	30 inch	15 nos		
4	Short road carbon.	11 inch	30 nos		
5	Extender carbon metallic.	3 inch	15 nos		
6	V-Bar	standard	15 nos		
7	Bow Carbon Sight	standard	15 nos		
8	Plunger button	standard	15 nos		
9	Finger tab	Small	15 nos		
10	Finger tab	Medium	10 nos		
11	Arm Guard	standard	15 nos		
12	Chest guard RH	Medium	15 nos		
13	Arrow rest For RH	standard	30 nos		
14	Bow scale	standard	15 nos		
15	Clicker	standard	15 nos		
16	Nock in out Plastic 1 no	standard	500 nos		
17	Spin Vanes imported for (RH)	standard	50 pkt. (50.nos per pkt)		
18	Bow Box	standard	15 nos		
19	Spotting scope with stand	standard	02 nos		
20	Bow stand	standard	15 nos		
21	Tri liner (Plastic)	standard	02 nos		
22	String spool fast flight	standard	10 nos		
23	String Zig	standard	02 nos		
24	Serving zig	standard	03 nos		
25	Serving thread	standard	12 nos		
26	Arrow puller	standard	15 nos		
27	Archery stretch Theraband	standard	15 nos		
28	String wax	standard	15 nos		
29	Allen key set	standard	15 nos		
30	X-10 Carbon arrows with Point	500 no.	10 doz.		
		550 no.	10 doz.		
		600 no.	10 doz.		
31	Damper Weight.	standard	45 nos		
32	Bow weight (SS)	standard	90 nos		
33	Quiver	standard	15 nos		

Note:- Latest and first grade model should be quoted by the bidder .

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

Annexure-'F'

Declaration regarding acceptance of Terms & Condition of Bid

(On Rs. 50/- non judicial stamp paper duly attested by Notary Public)

Bidder Name............................

I/We confirm that I/We are authorized to submit Bid on behalf of the firm participating in the Bid and have perused the entire Tender/Bid document including all its amendments till date.

Having perused the subject Bid with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Tender/Bid document including technical particulars, detailed technical specifications of the product, special terms & conditions and general terms & conditions wherever indicated, offer validity, terms of delivery without any deviations whatsoever:

I/We also confirm acceptance of the all general terms & conditions of Bid document.

I/We certify that the prices quoted against the Bid are competitive and without adopting any unfair/unethical means in including cartelization.

I/we certified that tendering firm has not been black listed/banned by any Government Department of the State /PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.

Date:
Place

Signature of Bidder with Seal
Name & Address

Annexure-'G'

Annual Turnover Statement

The Average annual turnover of M/s. ....for the past three years are given below and certified that the statement is true and correct.

Sr. No.	Financial Year	Turnover in Rs.
1.	2014-15	____________
2.	2015-16	____________
3.	2016-17	____________
	Total -	Rs.________ Lakh
Three Year Annual Average turnovers per annum	-	Rs._______ Lakh

Date:
Place:

Signature of Auditor/Seal
Charted Accountant
(Name & Address)
Membership No. :
Tel. No. :
Mob. No.:

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

परिशिष्ट ''ब''

(बोली प्रपत्र–प्राईस बिड)

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांकः   दिनांक :–

1. .... के लिए बोली
   (खाली स्थान मे उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्मः– ....
   का नाम व डाक का पूर्ण पताः– ....
   दूरभाष एवं फैक्स नम्बर मय ई–मेल सहितः– ....
3. बोली जिसे प्रस्तुत करनी हैः– आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
4. सन्दर्भः– बोली आमंत्रण सूचना संख्याः– ....
   दिनांक .... जो ....
   (समाचार पत्र का नाम) दिनांक .... में प्रकाशित हुई है।
5. निम्नलिखित आईटम के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगीः–
   (क) **Annexure- E** में अंकित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप आईटम
   का नामः– ....
   (ख) मात्राः– ....
   (ग) दरें – एफ.ओ.आर. आयुक्तालय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर अंकित करें:–
   (i) दरें:–
   अंको में: ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दी जावें।
   शब्दों में: ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दी जावें।
   (ii) विभिन्न करः– As Applicable at the time of supply.
   ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दी जावें।

   नोटः–

   (i) **ARCHERY (Recurve Bows and related Equipments) की दरों का मूल्यांकन composite basis पर (as per BOQ) किया जाकर न्यूनतम बोलीदाता का निर्धारण किया जावेगा।**
   (ii) दरें शब्दों एवं अंको दोनों रूप में लिखी जावें। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवें।
   (iii) अस्पष्ट वाक्य जैसेः– टैक्स पेड, कर सहित, 'एज एप्लीकेबल' का प्रयोग नहीं किया जावें।
6. जीएसटी में यदि कोई रियासत उपलब्ध है अथवा चाही गई हो तो तत्सम्बन्धी बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इससे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्राईस बिड के साथ संलग्न करें।
7. बोली भरने की प्रक्रियाः–
   ई–बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना/दस्तावेजों एवं परिशिष्ट–ब उल्लेखित कर दी गई है। तदनुरूप ही बोली प्रस्तुत की जावें अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

खुली प्रतियोगी ई–बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

1. नोट :–बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाईट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।
2. वास्तविक डीलरो द्वारा बोली :– बोली माल के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्ररूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्तें:–

(अ) निर्माता द्वारा बोलियां:–

(i) बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार आईटम्स की बोलियां संबंधित आईटम के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) एवं इनके निर्माता द्वारा प्राधिकृत डीलर/प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से निर्माता द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा दी जायेगी।

(ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध मे उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करवानी होगी।

(ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आरक्षण:–

(i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्म पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन 11 अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होना चाहिए।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके अभाव में बोली निरस्त की जा सकती है।

(iii) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन 11 अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मो को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्म जिन्हे उद्यमिता ज्ञापन 11 अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, उनके द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि मे छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार

शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियो पर विचार नहीं किया जावेगा।

(iv) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं कय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'ए' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मो द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II/UAM एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप मे शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(v) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा जबकि प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'बी' के अनुसार शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करने होंगे। इसके अभाव मे बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता की जांच हेतु सुनिश्चित की जावेगी एवं उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(vii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

4. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

5. जीएसटी/बिक्रीकर/वेट पंजीयन एवं जीएसटी/बिक्रीकर/वेट शोधन प्रमाण पत्र/जीएसटीआर व चालान की प्रति (रजिस्ट्रेशन क्लीयरेंस सर्टिफिकेट):–

(i) कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) राजस्थान स्थित फर्मो द्वारा जीएसटी/वेट शोधन प्रमाण पत्र/जीएसटीआर व चालान की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। उक्त प्रमाण पत्र छः माह से पुराना नहीं होना चाहिए। (राजस्थान राज्य से बाहर की फर्मो के मामले में उक्त प्रमाण पत्र में उसकी वैधता अंकित है तो वह स्वीकार की जावेगी अन्यथा वह छः माह से पुराना नहीं होना चाहिए) राजस्थान राज्य से बाहर जिन सरकारों द्वारा वेट शोधन प्रमाण पत्र जारी करना बन्द कर दिया गया है उसके संबंध में आमंत्रित बोली के ठीक पूर्व जमा कराये गये कर के चालान की प्रमाणित प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी। उक्त के अभाव में बोली निरस्त की जा सकेगी।

(iii) यदि किसी वस्तु पर जीएसटी लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की है तो उसमें जीएसटी की दर अलग से दर्शानी/बतानी होगी।

6.जीएसटी/वेट/सीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र में बोलीदत्त वस्तु या वस्तुओं के ग्रुप का नाम होना चाहिए जिससे यह जानकारी हो सके कि वह बोलीदत्त वस्तु में व्यापार करता है।

नोटः– जीएसटी/वेट/सीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र में बोलीदत्त वस्तु या वस्तुओं के ग्रुप का नाम अंकित होना चाहिए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट हो कि वह बोलीदत्त वस्तु में व्यापार/व्यवहार करता है।

7. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप **Annexure- F** डाऊनलोड करने के बाद अपने हस्ताक्षर उपरान्त उपलब्ध कराके ई–बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करें।

8. यदि कोई बोलीदाता सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है तो उसे तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने के लिए रोका जा सकता है।

9. बोली आनलाईन आवेदित की जावेगी। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली के समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

10. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियॉ एवं /या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियॉ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक में दिखाना चाहिए।बोली मे दर अंकित करते समय GST अलग से अंकित की जावे व GST की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावें। अस्पष्ट वाक्य, जैसे "टैक्स पैड" कर सहित "एज एप्लीकेबल" का

प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियासत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करें। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

11. आर्चरी खेल सामग्री के लिए दरें कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर में एफ. ओ. आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर/जी.एस.टी. को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलें में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाड़ें (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए हैं, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।

12. **दरों की तुलनाः–**

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के निमय 66 के अनुसार राजस्थान के बाहर स्थित फर्म एवं राजस्थान में स्थित फर्म द्वारा दी गई दरों की तुलना के समय राजस्थान की फर्मो द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में जीएसटी को दरों में शामिल नहीं करने एवं राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों में जीएसटी को शामिल करने सम्बन्धी प्रकिया तत्समय प्रभावी नियमों के अनुरूप की जावेगी।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के निमय 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार राजस्थान के उद्यमो द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल को राजस्थान के बाहर के उद्यमो द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत वरीयता दी जावेगी।

(iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के निमय 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और निविदत्त मूल्य राजस्थान के उद्यमों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान को ऐसे स्थानीय डीलरों पर क्रय अधिमान दिया जावेगा।

(iv) राजस्थान के भीतर की फर्मो के सम्बन्ध में दरों की तुलना करते समय, जीएसटी की राशि को शामिल किया जाएगा।

13. **विधिमान्यताः–** बोली में आमंत्रित दरें उनके अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।

14. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशों, आकार मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारे में

कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

15. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

16. <u>विनिर्देश :–</u>

(1) प्रदाय की गई सभी वस्तुएँ बोली में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहॉ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहॉ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। प्रदाय की गई वस्तु नवीनतम पैकिंग की होनी चाहिये। यदि किसी वस्तु के साथ कम्पनी द्वारा कोई फ्री आईटम दिया जा रहा है तो वह आईटम भी वस्तु के साथ देना होगा।

(2) तारा चिन्ह् से अंकित / क्रम संख्या .... पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों कें साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरुप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलें में, जहॉ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हों, वहॉ अत्युत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी / क्रेता समिति का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएँ विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय अन्तिम एवं बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(3) **वारंटी / गारंटी खण्डः**–बोलीदाता यह गारंटी देगा कि माल / सामान / वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल / सामान / वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से ....दिनों / माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरुप बनी रहेगी ,तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों /सामानों /वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हैं एवं / या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि .... दिनों / माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों / सामानों / वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों / सामानों / वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल / सामान / वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। बोलीदाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा बोलीदाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(4) मशीनों एवं उपकरणों के मामलें में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा बोलीदाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जो। यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सके। बोलीदाता मशीनों एवं उपकरणों को

उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएँ कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हों।

(5) केता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामलें मे बोलीदाता ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएँ, वार्षिक रख–रखाव (मेंटीनेंस) एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगा। बोलीदाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिए भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह केता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

(6) प्रदाय किए जाने वाले माल/ सामान/ वस्तुओं पर menufacturing date दर्शित होनी चाहिए अर्थात dead stock प्रदाय नहीं किया जाऐ।

17. निरीक्षणः–

(क) केता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों / उपकरणों / मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जॉच करने की शक्ति होगी।

(ख) बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहॉ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति का नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामलें में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए है, अपने बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

18. **नमूनेः–** अनुसूची में अंकित वस्तुओं की बोली के साथ उचित रूप से पैक की गई निविदत वस्तुओं का एक नमूना प्रस्तुत किया जाऐगा। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएं तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जाएंगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर / आर या जी.आर एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग /खाद्य पदार्थो के नमूने प्लास्टिक बॉक्स / पोलीथीन के थैलों में बोलीदाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।

19. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गई किसी मजबूत कागज की पर्ची पर बोलीदाता का नाम, मद की कम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाऐंगे।

20. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट–फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

निर्धारित अवधि की समाप्ति पर बोलीदाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत (Forefeit)कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम नहीं किया जाएगा।

21. असफल बोलीदाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इक्ट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट–फूट, हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नही लिए जाएंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

22. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहॉ आवश्यक हो या विहित किया गया हों या व्यावहारिक हो, वहॉ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहॉ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

23. **नमूने निकालना:–** परीक्षणों के मामलों में बोलीदाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमे से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं / या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

24. **परीक्षण प्रभार:–** परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

25. **रद्द करना :–**

(i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऍ अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें केता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible)नहीं समझा जाए, तो केता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौति करेगा। इस प्रकार की गई कटौति अन्तिम होगी।

26. रद्द की गई वस्तुओं को बोलीदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे बोलीदाता की जोखिम पर उसके मद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

27. बोलीदाता उचित पैंकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के

मामले में, बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच / निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

28. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

29. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

30. **बातचीत (Negotiation):–**

(i) जहां तक संभव हो बोलीकारों से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी:–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमते (Ring Price) दी गई हो

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

31.(i) **सुपुर्दगी अवधि** :– बोलीदाता, जिसकी बोली स्वीकार की जाए उसके द्वारा प्रदाय आदेश जारी करने की तारीख से 45 दिवस की अवधि के भीतर सामग्री की सप्लाई, स्थापना एवं कमिशनिंग निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा:–

क्रम संख्या	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि
आदेश दिये जाने की दिनांक से 45 दिवस की अवधि में			

(ii) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणें के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खूली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था । प्रदाय या पूर्ण हाने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकगी । पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी:–

(क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत ।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

32. **बोली बयाना राशि (Bid security):–**

(क) बोली के साथ कुल रू. 67,500/– की बोली बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि आयुक्त जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में जमा करायी जानी चाहिएः–

(i) नकद–शीर्ष "8443–सिविल निक्षेप– 103 प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालन से जमा कराया जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक

(ख) **बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय** :– असफल बोलीदाता की बयाना राशि को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) **बोली प्रतिभूति राशि से आंशिक छूटः**– उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये बोली के अनुमानित मूल्य के ***1/2 प्रतिशत*** दर पर बोली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

(घ) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

(ड़) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रदद् की गई बोलियों के सम्बन्ध में या संविदाओ के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई बोलीओ के लिए बोली प्रतिभूति राशि / प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि बोलीओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

33. **बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण** :– बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सहपहृत कर लिया जाएगा :–

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता हैं।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हैं।

(iii) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादित प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हैं।

(iv) वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता हैं।

34. (1) **करार एवं कार्य सम्पादित प्रतिभूतिः–**

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित कराना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए बोलीयां स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य के **5%** के बराबर कार्य सम्पादित प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।

(ii) बोली के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादित प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iii) **कार्य सम्पादित प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–**

(क) नगद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / चालान की रसीदी प्रति

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (Pledge) रखा जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट / विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(v) एक बार की खरीद के मामलें में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बात में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं हैं, कार्य सम्पादित प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मो को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन(विलोपित) प्रमाण–पत्र मूल रूप में, या उसकी फोटो स्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने पर, बोली प्रतिभूति राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे बोली के अनुमानित मूल्य के

1/2 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी। और अमानत राशि अनुमोदित मात्रा के मूल्य की एक प्रतिशत ली जावेगी ।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादित प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(iii) **कार्य सम्पादित प्रतिभूति का समपहरण** :– कार्य सम्पादान प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हों।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त **(Counter foil)** निःशुल्क दी जाएगी।

35. **बीमाः–(i)**सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे–युद्ध विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हॅानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य में इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि केता द्वारा चाहा गया हो तो केता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

36. **भुगतान** :–

(i) दुर्लभ एवं विशिष्ठ मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल / प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांस्पोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और बोलीदाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण–पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं

लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में,राशि का 10 से 25% तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हो।

(v) **सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।**

37. (i) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) **परिसमापित नुकसानीः**— परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं :—(इस संबध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अकिंत की गई शर्ते ही लागु होगी।)

(1)	(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2½%
	(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधी से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7½%
	(घ)	विहित अवधी की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

38. **वसूलियॉ** :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद् की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद् किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादित प्रतिभूति निक्षेप की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्त या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

39. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

40. यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यकवाही कर रदद कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि केता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हों।

41. केता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म / प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

42. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

43. यदि संविदा के निर्वचन **(Interpretation)**, आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाघ्यक्ष को भेजा जायेगा , जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उपअधिकारी की नियुक्ति करेगा। उस अधिकारी का इस संविदा से संबंध नही होगा , तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

44. समस्त विधिक कार्यवाहियॉ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा उदयपुर (राजस्थान) में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

45. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा – 80 में वर्णित सत्य निष्ठा की अर्हता बोलीदाता पर लागू होगी।

46. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान लागू होंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Sports officer AAO-I D.D. (Edu) Archery Coach F.A.

Instruction to Bidders for online Bidding (e-Bid)	
1	The bidders who are interested in bidding can download Bid document from http://eproc.rajasthan.gov.in
2	To participate in online Bids, Bidders will have to produce Digital Signature Certificate (type II or type III) as per information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids, Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS safe crypt , N code etc. or they may contact e-Procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital Certificate need not procure a new Digital Certificate. Contact No: 0141-4022688 (Help desk 10 am to 6 pm on all working days) E-mail:eproc@rajasthan.gov.in Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojna Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur
3	Bidder shall submit their offer on line in Electronic formats both for technical and financial proposal, however D.D. for Bid Fees, Processing Fees and Bid Security (EMD) should be submitted manually in the office of Bidding Authority before date & time of opening of technical bid and scanned copy of D.D. should be also uploaded along with the online bid.
4	Before electronic submitting the Bid, it should be ensured that all Bid papers including conditions of contract etc. ate digitally signed by the Bidder and filled up as per the Bid Guideline.
5	Training for the bidders on the usage of e-tendering system is also being arranged by RISL on regular basis. Bidders interested for training may contact e-Procurement Cell, RISL for booking the training slot.
6	Bidders are also advised to refer " Bidders manual" available under "Downloads" section for further details about the e-tendering process.
7	Rates should be quoted only in INR. Foreign Currency rates will not be accepted and Bid liable to rejected.

(C.S.O.) AAO-I D.D. (Edu) Archery coach F.A.